

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, ललितपुर**

पत्रांक ११५८ / चिठ्ठी०ख०-द्वितीय०(ल०) / राजस्व

दिनांक ०१/०५/२३

विषय— प्राक्कलन की (निरुपण पत्र) टी०सी० धनराशि जगा कराने के रामबंध में।
श्रीमति बड़ी दुलैया पति श्री जन्डेल सिंह

प्राविजन टी०सी०

ग्राम—गैनवार जिला ललितपुर। ७१/२०२३-२४
कार्य का विवरण— निजीनलकूप पूर्ण योजना में ०८ एच०फी० का विद्युत
संयोजन देने का कार्य।

**पी०टी०डब्लू० पूर्णजमा
योजना**

महोदय १००८२६१११३
१५०८२६१८९०

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिये गये के अनुपालन उपखण्ड अधिकारी एंव अवर अभियन्ता द्वारा
प्रेषित प्राक्कलन/टी०एफ०आर० के अनुसार टी०सी० का विवरण निम्नवत् है।

०१ लाइन चार्ज	रु० १३०२१९.००
०२ जमानती धनराशि	रु० ३५००.००
कुल योग	रु० १३२६१९.००


सर्विस केविल उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार क्य कर लें, सर्विस केविल की धनराशि प्राक्कलन में नहीं ली गयी है।
आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त टी०सी० की धनराशि तीन माह (९० दिन) के अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराना
सुनिश्चित करें—

4. इकाई पर स्थापित मध्यनिरी की घोषणा फार्म 'ए' तीन प्रतीयों में प्रस्तुत करें।
5. इकाई पर कार्य की पूर्णता एक परीक्षण फार्म 'बी' एण्ड 'एल तीन प्रतीयों प्रस्तुत करें।
6. अपने परिसर पर... को०वी०ए०आर० का शट कैपीसिटर स्थापित करवा कर एवं ट्रेस्ट अपने अनुज्ञाकारी
ठेकेदार (विद्युत ठेकेदार) के उसका पूर्ण बी०ए०ए०ल० फार्म में आवश्यक रूप से अकिंत कराये तथा उसके कैश—
मीमो की छायाप्रति जगा करायें।
7. १०० रु० के नॉन जुड़ीषियल स्टाम्प लेकर अनुबन्ध करने हेतु इस कार्यालय में किसी भी दिन कार्य दिवस में दों
गवाहों के साथ उपरिथित हो।
8. स्टेट बैंक या ट्रेजरी में ०४५ विद्युत कर भारतीय नियमावली के अन्तर्गत फीस मद में नियमानुसार जमा करें एवं
चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
9. इकाई को चलाने हेतु सम्बधित शासन/जिला परिषद, टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया या केन्टोमेन्ट का लाइसेन्स
प्रस्तुत करें।
10. इस आशय का लिखित पत्र प्रस्तुत करें कि जिस मकान में इकाई स्थापित की जा रही है वह मकान आपका
अपना निजी है किरायदार की स्थितिमें मकान मालिक की स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा मकान के हाउस टैक्स की रसीद
की छायाप्रति भी जमा करें।
11. दो सत्यापित फोटो जमा करें।
20. यदि आपकी संख्या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/लिमिटेड कम्पनी है तो अर्टिकल्स एवं मैमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन
की सत्यापित प्रतिलिपि जमा करानी होगी तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के पूर्व वैधानिक पावर ऑफ एटोनी भी जमा
करानी होगी। पार्टनरशिप डील की पंजीकृत छायाप्रति प्रेषित करें।

नोट—११ KV लाईन व २५ KV। परिवर्तक रथापित करते समय किसी भी प्रकार की आपत्ति/व्यवधान का निस्तारण
आपके द्वारा किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आपके द्वारा जमा की गई निरुपण पत्र (टी०सी०) की धनराशि न तो बिल
में समायोजित की जायेगी, और न ही वापिस की जायेगी।

जब तक सामग्री निर्गत नहीं होगी जबतक स्टीमेंट इंआरपी (ऑनलाइन प्रक्रिया) सिस्टम पर पास नहीं होगा।
पैसा जगा करने से पहले जानकारी कर ले कि आपका स्टीमेंट आनेलाइन प्रक्रिया से बना है या नहीं अगर नहीं
तो पैसा जगा न करें।

उपरोक्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होने पर इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत भार अवमुक्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की
जायगी। इस पत्र के जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर यदि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होने पर बिना किसी अन्य
नोटिस के आपकी विद्युत भार स्वीकृति रद्द की जायगी। जिसके लिये आप व्यवित्तगत रूप से जिम्मेदार होगें।


अधिशासी अभियन्ता